न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

क्रमा नम्बर 119/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

01. रोशनी देवी पुत्री श्री जीवादास जाति रंगास्वामी आयु वयस्क निवासी– जस्सा का बाडिया पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थीया

बनाम

मीरा देवी पुत्री श्री जीवादास जाति रंगास्वामी आयु वयस्क निवासी– जस्सा का बाडिया पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

1 कानादास माता मीरा देवी जाति रंगास्वामी आयु वयस्क निवासी– जस्सा का बाडिया पटवार हल्का निम्बाहेडा जाटान द्वितीय तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2 तुलसीदास माता मीरा देवी जाति रंगास्वामी आयु वयस्क निवासी– जस्सा का बाडिया पटवार हल्का निम्बाहेडा जाटान द्वितीय तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3 किशोरदास माता मीरा देवी जाति रंगास्वामी आयु वयस्क निवासी– जस्सा का बाडिया पटवार हल्का निम्बाहेडा जाटान द्वितीय तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

4 मोडीदास माता मीरा देवी जाति रंगास्वामी आयु वयस्क निवासी– जस्सा का बाडिया पटवार हल्का निम्बाहेडा जाटान द्वितीय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

5 सुण्डी माता मीरा देवी जाति रंगास्वामी आयु वयस्क निवासी– जस्सा का बाडिया पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

6 मन्जु देवी माता मीरा देवी जाति रंगास्वामी आयु वयस्क निवासी– जस्सा का बाडिया पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

सेवादास पुत्र श्री डालूदास जाति रंगास्वामी आयु वयस्क निवासी– जस्सा का बाडिया पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश सिंह तंवर ——अधिवक्ता प्रार्थीया
2. श्री अशोक कुमार लखारा ——अधिवक्ता वि.सं. 1 व 2
3. पेरोकार सरकार —— उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक– 28/11/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक वादपत्र धारा 53,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की शामलाती हक एवं खातेदारी अधिकारो की अविभाजित कृषि आराजियात वाके ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1005/685 रकबा 0.7588 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1062/685 रकबा 0.3162 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 1.7050 हैक्टयर जिसे प्रार्थीया का 19/255 हक हिस्सा बनता है, इसी अनुसार प्रार्थीया मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। परन्तु उक्त आराजियात का राजस्व रेकार्ड मे व मौके पर कोई बटवारा नही हो रखा है और बिना विभाजन कराये ही विपक्षी संख्या 01 मीरा देवी उक्त आराजियात मे से अपने हिस्से को अन्य अजनबी व्यक्तियो को विक्रय करना चाहती है। यदि बिना विभाजन कराये ही विपक्षी संख्या 01 उक्त आराजियात मे दर्ज अपने हिस्से को विक्रय कर देती है तो मौके पर कब्जे को लेकर अनेका अनेक विवाद उत्पन्न हो जायेगे। नये अजनबी केतागण मौके पर वादग्रस्त आराजियात के सम्पूर्ण अच्छे से अच्छे हिस्से पर काबिज हो जायेगे। जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति कदाचित असम्भव होगी। अतः विपक्षी संख्या 01 मीरा देवी को मौके पर तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है। प्रार्थीया ने विवाद को स्थाई रूप मे समाप्त करने के लिये अपने सहखातेदारो (विपक्षीगण) को कई बार निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी स्थिति के अनुसार आपसी सहमति से विभाजन करवा लेते है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

रन्तु विपक्षीगण ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया और विपक्षी संख्या 01 मीरा देवी ने तो बिना भाजन कराये ही अपना समस्त हिस्सा भी अन्य अजनबी व्यक्तियो को विकय कर खुर्द बुर्द करने की मकी दी। इस कारण से प्रार्थीया को यह वाद बाबत विभाजन कृषि आराजियात तथा अस्थायी षेधाज्ञा प्रस्तुत करने की नौबत पेश आयी है। प्रार्थीया प्रथम दृष्टया मामला, न्याय संतुलन तथा पूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष मे है। अंत मे प्रार्थना दर्ज करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रने का निवेदन किया।

स पर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 द्वारा जवाब पेश ही कर सीधे बहस की गयी। रेकार्डेड खातेदार होने व प्रार्थीया के अभिवचनो अनुसार ही मौके पर सके हक हिस्से पर काबिज होने से मामले मे अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया।

स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय संगत है–

- **प्रथम दृष्टया मामला**
- **सुविधा संतुलन**
- **अपूरणीय क्षति**

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला– जमाबंदी का अवलोकन करने से प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 वं 02 दो वादग्रस्त आराजी के खातेदार है व प्रार्थीया जो कि अपने प्रार्थनापत्र की प्लीडिंग मे अपने क हिस्से पर काबिज होना बताया गया व विपक्षीया संख्या 01 जो कि अपने हक हिस्से की भूमि को न्य को विकय, हस्तांतरण करने पर आमादा होने से उसे रोका जाने हेतु निषेधाज्ञा चाही गयी है। करण का अवलोकन करने से कब्जे बाबत विवाद नही है व केवल मात्र उसके हक हिस्से के अंतरण को रोकने हेतु उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। कानूनन सहखातेदार के हक हिस्से के अंतरण को रोका जाने हेतु निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। विपक्षी संख्या 01 एवं 02 रेकार्डेड खातेदार है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्व व विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के पक्ष मे प्रमाणित पाया जाता है।

सुविधा संतुलन– उक्त भूमि के विपक्षी संख्या 01 एवं 02 रेकार्डेड खातेदार है व कब्जे अनुसार काबिज है। जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीया के विरूद्व व विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के पक्ष मे प्रमाणित होता है।

अपूरणीय क्षति– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्व व विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के पक्ष मे है, मामले मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीया के मुकाबले विपक्षी संख्या 01 एवं 02 को अधिक अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व एवं विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज किया जाना योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र धारा–212 आर.टि.एक्ट सारहीन होने से खारीज किया जाता है। सरहद रतनपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान द्वितीय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1005/685 रकबा 0.7588 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1062/685 रकबा 0.3162 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 1.0750 हैक्टयर के संबध मे दिनांक 14/06/2021 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

यह आदेश दिनांक 28/11/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)